अध्याय XI : सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय

11.1 खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, मुंबई में योजनागत निधियों के उपयोग की मॉनीटरिंग की विफलता तथा अव्ययित शेषों हेतु वसूली प्रणाली का अभाव

खा.ग्रा.उ.आ. ने अपने राज्य/प्रभागीय कार्यालयों के साथ-साथ अपने संयुक्त कार्यकताओं को दिए गए बकाया पेशगी अग्रिमों हेतु समायोजन बिलों को समय पर मानीटर नहीं किया था। समायोजन वाउचरों को प्राप्त करने अथवा अव्ययित शेषों को वसूल करने में विफलता के दृष्टांत से कुल ₹114.06 करोड़ की योजनागत निधियों के दुरूपयोग की सम्भावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता।

खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग (खा.ग्रा.उ.आ.) संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय है। मुंबई में स्थित खा.ग्रा.उ.आ. का केन्द्रीय कार्यालय (अर्थात मुख्य कार्यालय) अपने क्षेत्रीय कार्यालयों अर्थात 29 राज्य कार्यालयों तथा 10 प्रभागीय कार्यालयों के माध्यम से कार्य करता है।

खा.ग्रा.उ.आ. भारत सरकार से तीन मुख्य शीर्षों नामत: (i) खादी (ii) ग्राम उद्योग तथा (iii) सामान्य एवं विविध के अंतर्गत 'योजनागत अनुदान' प्राप्त करता है। खा.ग्रा.उ.आ. संयुक्त कार्यकर्ताओं (राज्य बोर्डों, खा.ग्रा.उ.आ. के राज्य /प्रभागीय कार्यालयों, बैंकों, संस्थानों आदि) को विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित अग्रिमों के संवितरण की एक प्रणाली का अनुपालन करता है जिन्हें धन का स्वीकृत योजना ढांचे के अनुसार व्यय करना तथा खा.ग्रा.उ.आ. केन्द्रीय कार्यालय को समायोजन बिलों को प्रस्तुत करना अपेक्षित था। खा.ग्रा.उ.आ. केन्द्रीय कार्यालय से प्राप्त वाउचरों की सीमा तक अग्रिम का वर्गीकरण करना तथा अव्ययित शेषों की वसूली सुनिश्चित करना अपेक्षित था। इन अग्रिमों को उपरोकथित तीन मुख्य शीर्षों के अंतर्गत "पेशगी अग्रिम" के रूप में अंकित

किया गया था (वर्तमान में क्षेत्रीय कार्यालयों को संवितरित निधियों को लेखा पुस्तिका में अग्रिमों के स्थान पर व्यय के रूप में दर्शाया गया है)।

31 मार्च 2013 को खा.ग्रा.उ.आ. के वसूलनीय ऋणों तथा अग्रिमों में साथ-साथ इन तीन अनुदानों में से संवितरित ₹114.06 करोड़ की बकाया 'पेशगी अग्रिम' शामिल थी1 यह बकाया पेशगी अग्रिम खादी ग्राम उद्योग कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा खादी एवं ग्राम उद्योग क्षेत्र में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से संबंधित विविध कार्य से जुड़े विभिन्न कार्यकर्ताओं को वर्ष 1964 (इन अग्रिमों के संवितरण के यथार्त वर्ष प्रबंधन के पास उपलब्ध नहीं थे; तथापि किसी भी मामले में यह अग्रिम पांच वर्षों से अधिक के लिए बकाया हैं) से पहले प्रदत्त अग्रिमों को दर्शाती हैं।

इन बकाया अग्रिमों का संघटक-वार ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पेशगी अग्रिम तथा कार्यकर्ता जिसे अग्रिम दी गई थी का विवरण	बकाया खादी पेशगी	बकाया ग्राम उद्योग पेशगी	बकाया सामान्य तथा विविध पेशगी	कुल
1.	केन्द्रीय कार्यालय	-	-	0.90	**0.90**
2.	राज्य/मंडल कार्यालय	39.83	11.22	4.89	**55.94**
3.	प्रशिक्षण	-	-	0.69	**0.69**
4.	बैंकों को ब्याज सहायता	17.43	5.14	-	**22.57**
5.	राज्य बोर्ड	1.25	9.87	-	**11.12**
6.	संस्थान	2.11	1.89	-	**4.00**
7.	बुनाई सहायता	0.01	-	-	**0.01**
8.	छूट अग्रिम	9.01	4.26	-	**13.27**
9.	विभाग तथा अन्य	-	5.56	-	**5.56**
	योग	**69.64**	**37.94**	**6.48**	**114.06**

₹114.06 करोड़ की कुल पेशगी अग्रिम के प्रति प्रबंधन के पास कुल ₹36.18 करोड़ (खादी अनुदान में से ₹12.38 करोड़, ग्राम उद्योग अनुदान में से ₹17.32 करोड़ तथा सामान्य एवं विविध अनुदान में से ₹6.48 करोड़) की अग्रिमों के संबंध में कोई ब्यौरे नहीं हैं। ₹77.88 करोड़ शेष की राशि के संबंध में ₹22.57 करोड़ की अग्रिमों हेतु व्यक्तिगत सहयोगी वार (बैंक) ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे। शेष ₹55.31 करोड़ के लिए केवल राज्य/प्रभागीय कार्यालय, जिनके विरूद्ध अग्रिम बकाया थीं, परिचित थे परंतु कोई अन्य ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे।

'ब्याज आर्थिक सहायता योजना' के अंतर्गत खा.ग्रा.उ.आ. तथा खा.ग्रा.उ.आ. के पंजीकृत संस्थानों को बैंकों/वित्तीय संस्थानों से कार्यशील पूंजी ऋण लेने हेतु अनुमत थे। आदाता संस्थानों को बैंको द्वारा प्रभारित ब्याज का केवल चार प्रतिशत अदा करना अपेक्षित था तथा ब्याज के शेष की खा.ग्रा.उ.आ. द्वारा बैंकों को सीधे प्रतिपूर्ति की गई थी। इस उद्देश्य हेतु खा.ग्रा.उ.आ. ने 21 नोडल बैंकों के पास पेशगी शेष रखे। मार्च 2011 को, इस योजना के कार्यान्वयन में शामिल 21 नोडल बैंकों ने केवल ₹6 लाख का शेष सुनिश्चित किया है, जबकि इसके लेखे में नोडल बैंकों के पास शेष के रूप में ₹22.57 करोड़ रखे थे। इन विसंगतियों का समाधान करने हेतु बैंकों के साथ कोई सत्यापन/मिलान नहीं किया गया है।

समायोजन/वसूली हेतु लंबित अंत: खा.ग्रा.उ.आ. शेषों को प्रदर्शित करने वाले शेष के रूप में दर्शाए गई पेशगी अग्रिमों के ₹55.31 करोड़ के संबंध में खा.ग्रा.उ.आ. इन्हें लम्बे समय से वसूलनीय अग्रिमों के रूप में आगे ले जाता रहा है तथा पूर्ति बिलों के अभाव में वह इसका वर्गीकरण करने में असमर्थ था।

इस प्रकार, अपर्याप्त अभिलेख अनुरक्षण तथा समायोजन वाउचरों को प्राप्त करने अथवा अव्ययित शेषों की वसूली हेतु सामयिक कार्रवाई न करने, ने खा.ग्रा.उ.आ. को अपने उपयोग/दुरूपयोग से पूर्णत: मार्ग हीन बनाया। मूल

अभिलेखों के अभाव तथा मानीटरिंग की पूर्ण रूप से कमी में, इन निधियों के दुरूपयोग/गबन की संभाव्यता से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

मामला मार्च 2014 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2014)।

11.2 निधियों का अवरोधन

ग्रामशिल्प, नई दिल्ली के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण के गैर-कार्यान्वयन के कारण निधियों का अवरोधन

कार्यालय खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग (खा.ग्रा.उ.आ.), मुंबई ने नवीकरण तथा आधुनिकीकरण हेतु अपने विभागीय क्रय आउटलेट ग्रामशिल्प, नई दिल्ली का चयन किया था (नवम्बर 2004) जिससे कि इसे प्रबल ग्राहकों, निर्यातकों, पर्यटकों, थोक क्रेताओं तथा बैडेड उत्पाद क्रेताओं को आकर्षित करने हेतु खा.ग्रा.उ. क्षेत्र की एक निर्यात/एकमात्र उत्पादन प्रदर्शनी खिड़की के रूप में परिवर्तित किया जाए। इस उद्देश्य हेतु ग्रामशिल्प नई दिल्ली केा ₹70.00 लाख संस्वीकृत किए गए थे (नवम्बर 2004)। संस्वीकृति पत्र के अनुसार नवीकरण कार्य मार्च 2005 तक प्रारम्भ तथा जून 2005 तक समाप्त किया जाना था। खा.ग्रा.उ.आ. के प्रबंधन को आयुक्त खा.ग्रा.उ.आ. के मूल्यांकन हेतु साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि ग्रामशिल्प ने राशि को सावधि जमा में जमा किया था तथा नवम्बर 2004 से दिसम्बर 2013 तक कुल ₹36.79 लाख का ब्याज अर्जित किया था। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से यह स्पष्ट नहीं था कि, संस्वीकृति पत्र में निर्धारित समयबद्ध कार्य योजना के अनुसार, ग्रामशिल्प के नवीकरण/आधुनिकीकरण में कोई प्रगति प्राप्त की थी। एक वास्तुकार की नियुक्ति पर ₹50,000/- के सिवाय, इस उद्देश्य हेतु कोई व्यय नहीं किया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2013) ग्रामशिल्प ने जनवरी 2014 में खा.ग्रा.उ.आ., मुंबई को ₹1.07 करोड़ (₹0.70 करोड़ मूल जमा ब्याज ₹0.37 करोड़) की राशि वापस की।

परियोजना की गैर-मानीटरिंग का परिणाम, 10 वर्षों के लिए कुल ₹70 लाख की निधियों के अवरोधन में हुआ। वास्तुकार को अदा किए गए ₹50,000 भी खा.ग्रा.उ.आ. की निष्क्रियता के दृष्टांत से निष्फल साबित हुए।

मामला मार्च 2014 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2014)।